4
3.00

न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अमरोहा
अनुग्रा प्रार्थनापत्र दि. 4. धारा 5 (ग)
ग्राम - मुबारकपुर कलां प० - हसनपुर
सरदार बेगम बनाम आरिफ 15 वी कालिज
बनाम

सरकार
दि. 1-11-12 को प्रार्थना पत्र प्राप्त स्वीकार है

Photo Copy ATTESTED
31-12-2012
A.C. SINGH CHAUHAN
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC
HASANPUR DISTT. J.P. NAGAR (U.P.)
Regd. No. 2045/01

न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अमरोहा ।
अनुज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 5 अन्तर्गत धारा 5ग जो0 चक0अधि0
सरदार बेगम मैमोरियल डिग्री कालिज बनाम सरकार ।
ग्राम मुबारकपुर कलां परगना व तहसील हसनपुर जिला अमरोहा ।

निर्णय

प्रस्तुत अनुज्ञा प्रार्थना पत्र श्री खुर्रम खान पुत्र मौ0 नकी खान (प्रबंधक सरदार बेमग मैमोरियल डिग्री कालिज सम्भल रोड हसनपुर) निवासी मौ0 लालबाग कनेटा रोड कस्बा व तहसील हसनपुर जिला अमरोहा की ओर से इस आशय से योजित कर मांग की है कि ग्राम मुबारकपुर कलां तहसील हसनपुर के वर्तमान खाता खतौनी सं0 373 के गाटा सं0 466/1.084है0 आराजी है जिसका मालिक व काबिज सह खातेदार प्रार्थी है । उपरोक्त में से सरदार बेगम मैमोरियल डिग्री कालिज का 1.002है0 भाग है जिसे प्रार्थी ने बैनामा दिनांक 29-5-12 को वास्ते तामीर करने सरदार बेगम मैमोरियल कालिज के लिए खरीदी थी जिस पर कोई विवाद नहीं है । अतः प्रार्थी को गाटा सं0 466/1.002है0 भूमि पर सरदार बेगम मैमोरियल डिग्री कालिज भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की जाये ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी मुबारकपुर कलां से अभिलेखीय एवं स्थल आख्या मय ग्राम प्रधान के बयान सहित प्राप्त की गयी सहायक चकबन्दीअधिकारी मुबारकपुर कलां द्वारा अपनी संलग्न आख्या दिनांक 30-10-12 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम मुबारकपुरकलां के खतौनी खाता सं0 -373 पर सईदउद्दीन, रफीकउद्दीन, रईसउद्दीन उर्फ कल्लन शुजाउद्दीन पुत्रगण मौ0 सद्दीक निवासी मौ0 लालबाग हसनपुर में गाटा सं0 466/1.084है0 लगान 26.80पैसा अंकित है जिस पर आदेश सहायक चकबन्दी अधिकारी वाद सं0 107 अन्तर्गत धारा 6क दिनांक 5-7-12 गाटा सं0 466/1.084है0 में से 0.082है0 असल खातेदार का नाम खारिज होकर क्रेता दी पीपल्स ऐजूकेशन वेलफेयर सोसाईटी खंकरवाला कुआं हसनपुर द्वारा प्रबंधक खुर्रमखान पुत्र मौ0 नकी खान निवासी मौ0 लालबाग कनेटा रोड कस्बा तहसील हसनपुर के नाम अंकित है । तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी वाद सं0 109 दिनांक 5-7-12 धारा 6क के अन्तर्गत खाता सं0 273 में गाटा सं0 466/1.084है0 में गाटा सं0 466/1.084है0 में से 1.002है0 में से असल खातेदार का नाम निरस्त होकर क्रेता सरदार बेगम मैमोरियल डिग्री कालिज सम्भल रोड हसनपुर द्वारा प्रबंधक खुर्रम खान पुत्र मौ0 नकीखान निवासी मौ0 लालबाग कनेटा रोड कस्बा व तहसील हसनपुर का नाम बतौर बैनामा अंकित होने का अमल दरामद है । स्थल पर गाटा सं0 466 में लगभग 2 बीघा जमीन पर कमरों की बुनियाद भरी है । शेष क्षेत्रफल खाली है । प्रार्थी को गाटा सं0 466/1.002है0 पर भवन निर्माण हेतु अनुमति से दिये जाने से चकबन्दी प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा । अतः सहायक चकबन्दी अधिकारी की संस्तुति आख्या दिनांक 30-10-12 के आधार पर प्रार्थी को डिग्री कालिज बनाने (भवन निर्माण) की अनुमति दिये जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है ।

Photo Copy ATTESTED
31-12-2012
A.C. SINGH CHAUHAN
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC
HASANPUR DISTT. J.P. NAGAR

आदेश

उपरोक्त विवेचना व सहायक चकबन्दी अधिकारी की संस्तुति आख्या

दिनांक 30-10-12 के आधार पर श्री खुर्रम खान पुत्र मौ0 नकीखान (प्रबंधक सरदार बेगम मेमोरियल डिग्री कालिज) निवासी मौ0 लालबाग कनेटा रोड तहसील हसनपुर जिला अमरोहा को ग्राम मुबारक पुर कलां के गाटा सं0 466/1.002हे0 पर आबादी निर्माण की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि वह अनुमति दिये जाने कीतिथि से 90 दिन के भीतर आबादी निर्माण कर लें अन्यथा यह आदेश स्वत: ही निष्प्रभावी माना जायेगा । आदेश की एक प्रति सम्बंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी को भेजी जाये । पत्रावली बाद पूर्ति अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनांक 1-11-12

1/11/12

(वी0के0जैन)
बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
अमरोहा ।

168/1-11-12
1-11-12
1-11-12
13.00

1-11-12

Photo Copy ATTESTED
31-12-2012
A.C. SINGH CHAUHAN
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC
HASANPUR DISTT. J.P. NAGAR (U.P.)
Regd. No. 2045/01